नियम 40 : नोटिस और संचार की तामील

(1) अपील अधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाला कोई नोटिस या संचार अधिनियम की धारा 169 में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से तामील किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण–धारा में निर्दिष्ट सामान्य पोर्टल का तात्पर्य जीएसटीएटी पोर्टल से होगा।

(2) उपनियम (1) और उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण इस बात को, कि प्रत्यर्थियों की संख्या और उनके निवास या कार्य या सेवा के स्थान इतने अधिक है कि उन्हें किसी भी रीति से प्रभावित नहीं किया जा सकता है और अन्य परिस्थितियों को, ध्यान मे रखते हुए निर्देश दे सकेगा कि याचिका की सूचना या आवेदन, प्रत्यर्थियों को किसी अन्य रीति से, जिसमें प्रतिस्थापित सेवा का कोई भी तरीका सम्मिलित है, जैसा अपील अधिकरण को न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत हो, तामील की जाएगी।

(3) किसी कार्यवाही में, कोई सूचना या आदेशिका, यथास्थिति, आवेदक या प्रत्यर्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि पर या किसी ऐसे व्यक्ति, जो सूचना या आदेशिका स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हो, पर भी तामील की जा सकेगी, और प्राधिकृत प्रतिनिधि पर ऐसी तामील उचित तामील समझी जाएगी।

www.cggst.com